ASPA
Authentication Solution Providers' Association
Diverse technologies, common goal.

PRESS RELEASE

ASPA ने जारी की अपनी नई रिपोर्ट ''नकली एवं जाली चिकित्सा उत्पाद, कोविड–19 से सबक तथा दवाओं और मरीज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपकरण'

- रिपोर्ट कोविड–19 के दौरान नकली एवं जाली उत्पादों तथा फार्मास्युटिकल अपराधों के बढ़ते मामलों और इनसे निपटने के तरीकों पर रोशनी डालती है
- 2020 (91) से 2021 (134) के दौरान नकली और जाली चिकित्सा उत्पादों के मामलों में 47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है
- कोविड–19 उत्पादों में जालसाज़ी के मामले 29 राज्यों और 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में से 23 राज्यों में दर्ज किए गए
- रिपोर्ट एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इन्ग्रीडिएन्ट्स पर क्यूआर कोड को अनिवार्य बनाने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत करती है और सुझाव देती है कि देश में प्रमाणीकरण प्रणाली के निर्माण के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है।

नई दिल्ली, 28 मार्च 2022: घटिया और नकली चिकित्सा उत्पादों का खतरा नया नहीं है, किंतु अब तक इस गंभीर मुद्दे को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सका है। जालसाजी और अवैध कारोबार की समस्या तकरीबन सभी उद्योगों में मौजूद है, किंतु फार्मास्युटिकल्स एवं हेल्थकेयर ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर इसका सबसे बुरा बसर पड़ता है, खासतौर पर तब, जब यह ज़िंदगी और मौत के बीच का सवाल बन जाए।

ऑथेन्टिकेशन सोल्युशन्स प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (ASPA) ने कोविड–19 अवधि के दौरान जालसाज़ी के मुख्य मामलों तथा देश पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर **ASPA** ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसका विषय है "**Substandard and falsified medical products, learning from COVID-19 Pandemic and Technological tools to ensure medicines & patient safety**" यानि 'नकली एवं जाली चिकित्सा उत्पाद, कोविड–19 से सबक तथा दवाओं और मरीज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपकरण'। यह रिपोर्ट खासतौर पर कोविड–19 अवधि के दौरान नकली एवं जाली चिकित्सा उत्पादों तथा फार्मास्युटिकल्स में अपराध के बढ़ते मामलों पर रोशनी डालती है। रिपोर्ट एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इन्ग्रीडिएन्ट्स पर क्यूआर कोड को अनिवार्य बनाने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत करती है; हालांकि इसका सुझाव है कि देश में प्रमाणीकरण प्रणाली के निर्माण के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है।

Authentication Solution Providers Association | 21 GF, Devika Tower | Nehru Place | New Delhi 19 | India
Tel: (011) 41617369 | Email: info@aspaglobal.com | Website: www.aspaglobal.com

अध्ययन में पाया गया कि **कोविड–19 महामारी के दौरान, जाली एवं नकली चिकित्सा उत्पादों के मामले 2020 की तुलना में 2021 में तकरीबन 47 फीसदी बढ़ गए हैं।** ये मामले मुख्य रूप से कोविड–19 से जुड़े चिकित्सा उत्पादों– जैसे वैक्सीन, दवाओं, कोविड टेस्ट किट, एंटी–बायोटिक, फेस मास्क और सैनिटाइज़र में पाए गए। जब कोविड–19 अपने चरम पर था तब भारत के 29 राज्यों और 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में से 23 राज्यों में नकली एवं जाली चिकित्सा उत्पादों के मामले दर्ज किए गए।

वहीं दूसरी ओर, नकली एवं जाली उत्पाद हर सेक्टर को प्रभावित करते हैं, भारत में जालसाज़ी के मामालें की संख्या जनवरी 2018 से दिसम्बर 2020 के दौरान 20 फीसदी बढ़ी है। दुनिया भर में, फार्मास्युटिकल्स में नकली और जाली उत्पादों के मामले पिछले 10 सालों में 111 फीसदी बढ़ गए हैं। जो जानलेवा बीमारियों से लड़ने और 'स्वास्थ्य के अधिकार' को हासिल करने के लक्ष्यों में बड़ी बाधा है।

रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए **श्री नकुल पसरीचा, ASPA ने कहा** *''अपराधियों के लिए महामारी एक अवसर बन गई है, जिसके ज़रिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नकली और जाली चिकित्सा उत्पाद बेचने और ज़रूरतमंद लोगों की मुश्किलों का फायदा उठाने का मौका मिला है। कोविड–19 महामारी के दौरान नकली दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बढ़ती संख्या के बुरे प्रभाव की तकरीबन अनदेखी भी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी प्रवृति के लोग असली उत्पादों जैसी पैकिंग में नकली और हानिकारक उत्पाद बनाते हैं, ऐसे में असली और नकली उत्पादों के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ये नकली और जाली चिकित्सा उत्पाद स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में बाधक बन जाते हैं। समय आ गया है कि इस खतरे पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अभी सही कदम उठाकर ही हम अपनी मरीज़ों को प्रभावी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं।''*

निर्देशों के बावजूद, जाली एवं नकली उत्पादों की समस्या पर लगाम नहीं लग रहा है। एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडिएन्ट्स (एपीआई) पर क्यूआर कोड को अनिवार्य करने का फैसला इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। एपीआई प्राथमिक कच्ची सामग्री होती है, जसका उपयोग दवाओं–कैप्स्यूल, टैबलेट, सिरप आदि बनाने में किया जाता है। ऐसे में एपीआई पर क्यूआर कोड को अनिवार्य करना सही कदम है। इससे उपभोक्ता को लाभ होगा, आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित बनाकर दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह कदम नकली एवं जाली दवाओं पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकता है। ~~नेशनल ऑथेन्टिकेशन एण्ड ट्रेसेबिलिटी प्रोजेक्ट्स पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में चीन, ब्राज़ील, तुर्की, यूएसए और ईयू के साथ मिलकर काम कर रहा है।~~ इसने इन देशों के विभिन्न उद्योगों में कर संग्रण में सुधार लाकर, नकली एवं अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद की है। भारत को भी आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की इसी लीग में शामिल होकर ऐसे कदम उठाने चाहिए।

Authentication Solution Providers Association | 21 GF, Devika Tower | Nehru Place | New Delhi 19 | India
Tel: (011) 41617369 | Email: info@aspaglobal.com | Website: www.aspaglobal.com